

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिदिरा-माध्य/मा/अ-3/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2018/01 दिनांक : 28.02.2018

(1) समस्त मण्डल उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा

महत्वपूर्ण

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)

अत्यावश्यक

विषय:- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा-2018 के सुचारु आयोजन एवं परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के निर्विघ्न संचालन हेतु समुचित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग:- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य बोर्ड परीक्षा के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण क्रमांक : प.3(7)शिक्षा-6/2018, जयपुर, दिनांक : 31.01.18

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 08 मार्च, 2018 से तथा माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 15 मार्च, 2018 से प्रारम्भ हो रही है। बोर्ड परीक्षा राज्य में सबसे बड़ी सार्वजनिक परीक्षा है, जिसमें तकरीबन 19.20 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इसके सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग की भी महती जिम्मेदारी है। उक्त परिप्रेक्ष्य एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

1. समस्त मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) को दिनांक : 02 फरवरी, 2018 को बोर्ड कार्यालय में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन सम्बन्धी जानकारी देने तथा इस संदर्भ में बोर्ड एवं शिक्षा अधिकारियों की पारस्परिक अपेक्षाओं का आदान-प्रदान कर परीक्षाओं के प्रभावी एवं सफल संचालन के संबंध में विचार-विमर्श हेतु आयोजित मण्डल/जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक) की बोर्ड अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप परीक्षाओं के सुचारु आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में बोर्ड द्वारा प्रदत्त परीक्षा आयोजन बाबत निर्देश पुस्तिका का गहनता से अध्ययन करते हुए प्रदत्त निर्देशों की पालना स्वयं तथा अधीनस्थ अधिकारियों/केन्द्राधीक्षकों/संस्था प्रधानों/परीक्षा ड्यूटी में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त अधिकारियों तथा कार्मिकों से करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान जिला स्तर पर जिला कलक्टर की तरफ से स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने की स्थिति में तत्दिवस आयोज्य परीक्षाएं सुचारु रूप से संचालित की जाने हेतु जिला प्रशासन के समन्वय से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
3. बोर्ड परीक्षा अवधि में वीक्षक ड्यूटी नियोजन एवं निर्बाध शिक्षण व्यवस्था हेतु :-

बोर्ड परीक्षा हेतु गठित विभिन्न स्तर के उड़नदस्ता प्रभारियों, विभागीय निरीक्षण अधिकारियों तथा अन्य स्रोतों से मिले पृष्ठ पोषण के आधार पर बोर्ड परीक्षा के आयोजन हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों में अनियमितता एवं बिना आवश्यकता के लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों के कारण परीक्षा अवधि में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बाधित होने संबंधी बातें सामने आई है। बोर्ड परीक्षा में निष्फल प्रयोजनार्थ लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण तथा परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी हितार्थ शिक्षण कार्य के निर्विघ्न एवं सुचारु संचालन हेतु प्रासंगिक परिपत्र दिनांक : 12.4.16 द्वारा प्रसारित स्थाई निर्देशों के अनुवर्तन में विभिन्न स्तरों पर अग्रांकित कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करें :-

- I. कतिपय मामलों में यह देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा केन्द्र स्थापित है, वहाँ पदस्थापित अधिकारियों/शिक्षकों की परीक्षा ड्यूटी अन्यत्र परीक्षा केन्द्रों/बोर्ड नियंत्रण कक्ष/उड़नदस्ता/माइक्रो ऑब्जर्वर/पेपर कॉर्डिनेटर आदि कार्यों हेतु लगा दी जाती है तथा उस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य हेतु अन्यत्र स्थानों से अधिकारी/शिक्षक प्रतिनियुक्त किये जाते हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः अपरिहार्य स्थितियों के अलावा बोर्ड परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालयों से अधिकारियों/शिक्षकों की ड्यूटी अन्यत्र नहीं लगाई जाएं।
- II. जिस विद्यालय में बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है, उस विद्यालय के एक शिक्षक को छोड़कर (जो उस विद्यालय के परीक्षार्थी विद्यार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर एस्कॉर्ट्स के रूप में नियुक्त किया जाता है ) अन्य किसी भी शिक्षक को अन्यत्र परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा ड्यूटी हेतु नहीं लगाया जाए ।
- III. परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की वीक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई जाए, बशर्ते कि किसी व्यक्ति विशेष को तात्कालिक कारणों (रक्त संबंधी के उक्त केन्द्र पर परीक्षार्थी होने अथवा विषयाध्यापक से संबंधित विषय की परीक्षा दिवस को अथवा अन्य किसी आवश्यक कारण) से वीक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
- IV. वीक्षण ड्यूटी से शेष शिक्षकों हेतु संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु परीक्षा समाप्ति के उपरांत नियमित कक्षा शिक्षण/उपचारात्मक शिक्षण (रिमेडियल टीचिंग) की व्यवस्था समय प्रबंधन करते हुए सुनिश्चित की जाए , जिससे कि विद्यार्थियों का नियमित शिक्षण कार्य एवं अभ्यास स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन तक जारी रखा जा सके । वीक्षण कार्य एवं शिक्षण कार्य, दोनों हेतु विद्यालय के समस्त शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाए ।
- V. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी बोर्ड परीक्षा केन्द्र पर किसी भी स्थिति में वीक्षक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए ।
- VI. प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की ड्यूटी यथासंभव माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा केन्द्रों पर नहीं लगाई जाए ।
- VII. **वीक्षक ड्यूटी अभिलेख संधारण :** - बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के नाम से अनियमितता की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त केन्द्राधीक्षकों को स्पष्ट हिदायत प्रदान की जाती है कि वीक्षक ड्यूटी से सम्बन्धित रजिस्टर का पृथक् से संधारण करते हुए प्रति दिवस वीक्षक ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में आवश्यक रूप से करें। इसी प्रकार समस्त वीक्षकों से परीक्षा दिवस से पहले पूर्व सूचनार्थ हस्ताक्षर करवा लिए जाएं तथा परीक्षा दिवस को वीक्षक ड्यूटी पर उपस्थिति स्वरूप भी हस्ताक्षर करवाए जाएं। केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर आने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों/विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को परीक्षा सम्बन्धी अन्य अभिलेखों के साथ उक्त वीक्षण ड्यूटी रजिस्टर का अवलोकन करवाते हुए हस्ताक्षर करवाएंगे । केन्द्राधीक्षक उक्त वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर में अंकित शिक्षकों के अलावा अन्य किसी भी शिक्षक की किसी भी स्थिति में बोर्ड परीक्षा प्रयोजनार्थ उपस्थिति प्रमाणित नहीं करेंगे । बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों तथा विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे बोर्ड परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर का आवश्यक रूप से अवलोकन करते हुए इस तथ्य का विश्लेषण करें कि केन्द्राधीक्षक द्वारा वीक्षक ड्यूटी हेतु नियोजित शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यकतानुरूप ही की गई है अथवा नहीं । केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्देशों के विपरीत कार्यवाही पाई जाने की अवस्था में उक्त तथ्य का खुलासा निरीक्षण रिपोर्ट में करते हुए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी अनियमितता पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया जाकर सम्बन्धित के विरुद्ध सक्षम स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही

प्रस्तावित की जाएगी । साथ ही सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र / विद्यालय में व्यवस्था दुरुस्तीकरण की कार्यवाही भी तत्काल सुनिश्चित की जाए ।

VIII.

**जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दायित्वबद्धता :** - बोर्ड परीक्षा आयोजन हेतु शासन स्तर से गठित "जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति" के सदस्य सचिव के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सम्पूर्ण जिले में परीक्षा के सुचारु एवं सफल संचालन हेतु प्रथमतः जिम्मेवार होते हैं । उक्तानुरूप बोर्ड परीक्षा में वीक्षक ड्यूटी के नाम पर मानवीय संसाधनों के दुरुपयोग को रोके जाने तथा उक्त परीक्षा के दौरान क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के साथ - साथ शिक्षण व्यवस्था के भी सुचारु संचालन हेतु भी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक - प्रथम) परीक्षा आयोजन संबंधी क्रियाकलापों / गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वन हेतु बोर्ड कार्यालय के सीधे सम्पर्क में होते हैं , अतः बोर्ड परीक्षा के दौरान वीक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से सम्बन्धित कार्य के सुसंगत एवं आवश्यकतानुरूप निष्पादन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर एवं केन्द्राधीक्षकों से निम्नांकित विवरणानुसार कार्य सम्पादन अपेक्षित है :-

- बोर्ड परीक्षाओं के प्रारम्भ होने से पूर्व ही सम्पूर्ण जिले के बोर्ड परीक्षा केन्द्रों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण/सामग्री बोर्ड कार्यालय से समन्वय रखते हुए यथा समय प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
- कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) को उक्त कार्य हेतु दायित्वबद्ध करते हुए समस्त परीक्षा केन्द्रों को आवंटित परीक्षार्थी संख्या के अनुरूप प्रति परीक्षा दिवस हेतु वांछित वीक्षकों की संख्या का विवरण यथासमय तैयार करने हेतु निर्देशित करें ।
- तत्पश्चात् "शाला दर्पण" की सहायता से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धित/समीपवर्ती राजकीय विद्यालय में कार्यरत स्टाफ के अनुरूप उपलब्ध वीक्षक संख्या का विवरण तैयार करावें। समस्त परीक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्राधीक्षक/सहायक केन्द्राधीक्षक/पेपर कॉर्डिनेटर/माइक्रो ऑब्जर्वर के नियुक्ति आदेश समय पर जारी करते हुए केन्द्राधीक्षकों एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की संयुक्त बैठक आयोजित कर बोर्ड परीक्षा के लिए समस्त परीक्षा केन्द्रों हेतु उचित संख्या में वीक्षकों की व्यवस्था एवं परीक्षा अवधि में समस्त विद्यालयों में समुचित समय प्रबंधन करते हुए शिक्षण व्यवस्था जारी रखे जाने बाबत निर्देशों की क्रियान्विति हेतु पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करें ।
- निजी शिक्षण संस्थाओं/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों , जहाँ सीमित स्टाफ के कारण अन्य स्थानों से वीक्षक लगाए जाने हैं , ऐसे समस्त परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय द्वारा यथासमय सम्पन्न कर लिया जाए । ग्रामीण क्षेत्रों में वीक्षकों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति उसी ब्लॉक (यथा संभव परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए) के समीपवर्ती राजकीय विद्यालयों, जहाँ परीक्षा केन्द्र नहीं है, से की जाए । परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों की ड्यूटी सम्पूर्ण परीक्षा दिवसों हेतु नियोजित करते हुए जिस दिन कम वीक्षकों की आवश्यकता हो, उक्त दिवस हेतु वीक्षक ड्यूटी से मुक्त समस्त शिक्षकों को उनके पदस्थापित विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वीक्षण कार्य हेतु ड्यूटी अपरिहार्य स्थिति में लगाई जा सकती है । इस प्रकार की आपात स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) से उचित समन्वय रखते

हुए समीपवर्ती प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की ड्यूटी वीक्षण कार्य हेतु लगाई जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जो कि जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के सदस्य होते हैं, उक्त बाबत समुचित निर्देश क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (BEEO) तथा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO) को प्रदान करेंगे।

- जिला शिक्षा अधिकारी बोर्ड परीक्षा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार वीक्षक उपलब्ध हों तथा वीक्षक ड्यूटी के नाम पर निष्फल प्रयोजनार्थ अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति भी नहीं की जाए। इस हेतु वे सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र हेतु शासन के आदेश दिनांक :- 28.01.2017 द्वारा नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को दायित्वबद्ध कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए इस बात की सुनिश्चितता हेतु निर्देशित करें कि किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बोर्ड परीक्षा केन्द्र पर वीक्षकों का अभाव भी न रहे तथा क्षेत्र के समस्त विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) में परीक्षा के दौरान निर्बाध अध्ययन-अध्यापन कार्य भी जारी रहे।
- मण्डल उपनिदेशक द्वारा समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन :- मण्डल उपनिदेशकों द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों की कठोरता से पालना एवं अक्षरशः क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी। उक्त कार्य के प्रभावी प्रबोधन हेतु उपनिदेशकों द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान अधीनस्थ जिलों में बोर्ड परीक्षा केन्द्रों तथा विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते हुए केन्द्राधीक्षकों द्वारा वीक्षण ड्यूटी में बरती जा रही पारदर्शिता एवं संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के सुचारु संचालन की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जाएगा। किसी भी स्थिति में निर्देशों/नियमों की अवहेलना/उदासीनता पाई जाने पर तत्काल सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी सुनिश्चित करेंगे।

4. गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा के शान्ति पूर्वक संचालन, परीक्षाओं के दौरान लाउड स्पीकर्स, ध्वनि विस्तारक यन्त्रों पर पाबन्दी लगाने, परीक्षा केन्द्रों पर नकल व अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही व परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार की असामान्य स्थिति उत्पन्न न हों, इस हेतु शासन स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार "जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति" निम्नानुसार गठित की गई है:-

(i) जिला कलक्टर	अध्यक्ष
(ii) जिला पुलिस अधीक्षक	सह-अध्यक्ष
(iii) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)	सदस्य सचिव
(iv) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय)	सदस्य
(v) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	सदस्य

इस कार्य में सभी सम्बन्धित उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, वृत्ताधिकारी, तहसीलदार एवं थानाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था व परीक्षा संचालन सुनिश्चित करेंगे। ये सभी अधिकारी जिला परीक्षा संचालन समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने हेतु "राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-1992" को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने एवं अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्र के दौरे के दौरान बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का आवश्यक रूप से निरीक्षण करने हेतु शासन स्तर पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। उक्तानुरूप जिला प्रशासन से आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

5. प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) एवं मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में विगत वर्षों के अनुरूप ही जिला/संभाग स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष दिनांक : 05 मार्च 2018 से अन्तिम परीक्षा समाप्ति तक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक स्थापित किये जाने हैं। नियन्त्रण-कक्ष प्रभारी तथा विविध पारियों में नियुक्त कर्मचारियों के पारी-वार नाम, नियन्त्रण कक्ष के फोन नंबर, ई-मेल पते के संबंध में सूचना बोर्ड कार्यालय के फैक्स संख्या 0145-2632869 पर आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे, जिसकी प्रति निदेशालय की ई-मेल secondarydd@gmail.com पर भी प्रेषित करें।  
बोर्ड कार्यालय में परीक्षाओं के सुसंचालन हेतु केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रण कक्ष दिनांक : 03.03.2018 को प्रातः 6:00 बजे से प्रारम्भ होगा, जो परीक्षा समाप्ति तक प्रतिदिन प्रातः 6:00 से रात्रि 12:00 बजे तक कार्य करता रहेगा। इस कण्ट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 0145-2632866, 2632867, 2632868 तथा फैक्स नंबर 0145-2632869 हैं। बोर्ड द्वारा अन्य आवश्यक निर्देशों के साथ आपको पूर्व में प्रेषित प्रपत्र "अ" के निर्देशानुसार परीक्षा पूर्व किये जाने वाले कार्यों की सुनिश्चितता यथा समय की जाए। प्रपत्र "ब" के अनुसार सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं निर्देशानुसार "सूचना प्रेषण कोड" के माध्यम से बोर्ड नियन्त्रण कक्ष को दूरभाष पर नियमित रूप से भेजी जाए तथा प्रपत्र बी.आर., वी.जी., पी.सी.एम.ओ. आदि प्रारूपों में प्रत्येक परीक्षा दिवस को सभी सूचनाएं भरकर बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कक्ष को फैक्स पर भेजी जाए।
6. निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में राज्य स्तरीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो दिनांक 05.03.2018 से परीक्षा समाप्ति तक प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक कार्यरत रहेगा, जिसके दूरभाष नंबर : 0151-2544043 हैं। उक्त नियंत्रण कक्ष के प्रभारी श्री मूल चंद मीना, उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा होंगे।
7. किसी भी परीक्षा केन्द्र पर निजी विद्यालय का कोई भी कर्मी वीक्षक/पर्यवेक्षक/ अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक या परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए नियुक्त नहीं किया जाये।
8. गत वर्ष की परीक्षाओं में संदिग्ध तथा लापरवाह पाए गए अथवा दण्डित कर्मियों को इस वर्ष की परीक्षाओं में नियुक्त नहीं किया जावे।
9. जिला शिक्षा अधिकारियों व उपनिदेशकों को बोर्ड द्वारा प्रदत्त अग्रिम राशि का सम्पूर्ण हिसाब कार्य समाप्ति के एक माह की अवधि में अवश्य भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे। यह सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशकों की जिम्मेवारी होगी।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों पर होमगार्ड व पुलिस स्टाफ की तैनातगी के लिए आवश्यकता वाले परीक्षा केन्द्रों की सूची व संख्या से यथासमय जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराएंगे।
11. बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर समुचित फर्नीचर की व्यवस्था होना आवश्यक है। जहाँ फर्नीचर की कमी है, वहाँ समीपवर्ती राजकीय अथवा गैर सरकारी विद्यालयों से आवश्यकतानुसार फर्नीचर की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से यथासमय कर ली जाए।
12. प्रायः यह देखने में आया है कि केन्द्राधीक्षक प्रश्न पत्र वितरण के दिन ही अचानक चिकित्सा अवकाश ले लेते हैं, जिससे प्रश्नपत्र वितरण जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये संबंधितों का मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाए।
13. बोर्ड के परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालयों के संस्था प्रधानों को फुटकर व्यय, टेलीफोन इत्यादि के लिये बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि तत्काल प्रदान की जावे।
14. जिन उ.प्रा.वि. को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, उनके संस्था प्रधानों को परीक्षा आयोजन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने एवं परीक्षा आयोजन में नियुक्त प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को तुरन्त कार्यमुक्त करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) से आदेश जारी करवाए जाएं।

15. जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा का केन्द्र स्थापित है तथा प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, वहां यथा संभव उक्त विद्यालय के वरिष्ठतम व्याख्याता, जिन्हें आहरण – विरतरण का अधिकार दिया हुआ है, को ही केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जाए।
16. विद्यार्थियों में नकल की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम की पुख्ता व्यवस्था करने तथा अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु "राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-1992" का प्रचार-प्रसार समाचार-पत्रों एवं टी.वी. के माध्यम से किया जावे। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने तथा उत्तर पुस्तिकाएं गिरने जैसी विभिन्न प्रकार की अफवाहों का तुरन्त खंडन कर प्रेस विज्ञप्ति दी जाये। परीक्षा व्यवस्था में कोताही बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।
17. परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर अतिरिक्त कक्षाएं लगाने, हॉस्टल चलाने तथा कोचिंग कक्षाएं चलाने पर पाबंदी लगाने बाबत आदेश जारी किए जाएं। यदि विद्यालय में हॉस्टल चलाना अपरिहार्य हो, तो वहां हॉस्टल की निगरानी हेतु एक ऑब्जर्वर लगाया जाए।

उपर्युक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों के साथ ही बोर्ड एवं विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित सम-सामयिक निर्देशों का पालन तत्परता से किया जाना सुनिश्चित करावे, जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुचारु रूप से सम्पन्न करवाया जा सके।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 समस्त जिला कलक्टर।
- 5 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
- 6 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को बोर्ड द्वारा नियुक्त उड़न दस्ता/निरीक्षण दल प्रभारियों को प्रदत्त निर्देशों में समावेशन करने हेतु।
- 7 समस्त मण्डल उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
- 8 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक-प्रथम/द्वितीय।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब – साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
- 10 वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 11 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
- 12 रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

www.rajteachers.com